कार्यालय, जिलाधिकारी,खगड़िया

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–: आदेश :–

अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक–720 / आ0नि0को0, दिनांक–26.06.2019 के आलोक में राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना का खगड़िया जिला में दिनांक–09.07.2019 से 12.07.2019 तक भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान वे जिले में दिव्यांगजनों की स्थिति की समीक्षा के साथ–साथ दिव्यांगजन के हितार्थ आयोजित चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) के माध्यम से परिवादो की सुनवाई करेंगें। राज्य आयुक्त निःशक्तता के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1	09.07.2019 (मंगलवार)	7:00 A.M से 3:00 P.M	जिला में विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारियों एवं प्रखड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक।	परिसदन खगड़िया	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		4:00 P.M से	इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया के प्रतिनिधियों के साथ संवाददाता सम्मेलन / प्रेस वार्ता	सभागार खगड़िया	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी
2	10.07.2019 (बुधवार)	7:00 A.M से 10:00 A.M	जिला में बचे हुए प्रखंडों से पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह साथ बैठक	परिसदन खगड़िया	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
	10.07.19 (बुधवार)	10:00 A.M से 12:00 A.M	विभिन्न विभाग पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा उपस्थिति:– 1. उप विकास आयुक्त,खगड़िया 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकार,खगड़िया 3. उप समाहर्त्ता, प्रभारी बैंकिंग,खगड़िया 4. उप पुलिस अधीक्षक,खगड़िया 5. अपर समाहर्त्ता,खगड़िया 6. अनुमंडल पदाधिकारी,खगड़िया / गोगरी 7. सभी प्रखड विकास पदाधिकारी,खगड़िया जिला 8. असैनिक शल्य चिकित्सक–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,खगड़िया 9. श्रम अधीक्षक,खगड़िया 10. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,खगड़िया 11. जिला नियोजन पदाधिकारी,खगड़िया 12. कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल / पथ प्रमंडल 13. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) खगड़िया 14. जिला कल्याण पदाधिकारी,खगड़िया 15. जिला शिक्षा पदाधिकारी,खगड़िया 16. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा–सह–दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,खगड़िया 17. जिला आपूर्ति पदाधिकारी,खगड़िया 18. जिला परिवहन पदाधिकारी,खगड़िया 19. जिला अभियंता जिला परिषद,खगड़िया 20. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी,खगड़िया 21. जिला कृषि पदाधिकारी,खगड़िया 22. जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी,खगड़िया 23. जिला खेल–कूद पदाधिकारी,खगड़िया 24. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,खगड़िया / अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी / खगड़िया एवं गोगरी 25. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया एवं नगर पंचायत,गोगरी 26. जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पदा0,खगड़िया 27. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,खगड़िया 28. कारा अधीक्षक,खगड़िया 29. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,खगड़िया	सभागार खगड़िया	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग

Email-adsskhagaria@gmail.com ☎06244 - 222038

			30. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,खगड़िया / गोगरी 31. जिला पंचायती राज पदाधिकारी,खगड़िया 32. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई,खगड़िया 33. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक,खगड़िया 34. जिला प्रबंधक, जीविका,खगड़िया 35. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र,खगड़िया		
3.	10.07.2019 (बुधवार)	12:00 P.M से 1:00 P.M	अपर पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक / जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0) / विभिन्न पदाधिकारी के साथ बैठक	सभागार खगड़िया	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगें साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगें।
		1:00 P.M से 2:00 P.M	विभिन्न कॉलेज / कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी,खगड़िया 2. प्रधानाचार्य संबंधित सभी महाविद्यालय 3. सभी आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्य 4. पॉलटेनिक कॉलेज 5. डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र)	सभागार खगड़िया	उप विकास आयुक्त
		2:00 P.M से 3:00 P.M	लीड बैंक के साथ सभी बैंको के प्रतिनिधि के साथ बैठक उपस्थिति:– 1.जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता (एल0डी0एम0 बैंकिंग) 2.सभी बैंको के शाखा प्रबंधक	सभागार खगड़िया	उप समाहर्त्ता प्रभारी, (एल0डी0एम0 बैंकिंग)
		3:00 P.M से 4:00 P.M	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा–13(2) के तहत ऑटिज्म, बौधिक विज्ञान, सेरेब्रल पॉलिसी एवं बहु दिव्यांग के पुर्नवास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटी की बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा–72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक	सभागार खगड़िया	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		4:00 P.M से 5:00 P.M	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण उपस्थिति:– 1. स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक्षक 2. जिला उद्योग पदाधिकारी 3. नगर आयुक्त / नगर परिषद् एवं सदर अनुमंडलीय पदाधिकारी	—	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
4.	11.07.2019 (गुरूवार)	7:00 A.M से 9:00 A.M	जिला में बचे हुए प्रखंडों के पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक	परिसदन खगड़िया	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		9:00 A.M से 11:00 A.M	सदर अस्पताल का निरीक्षण	सदर अस्पताल	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
		11:00 A.M से 1:00 P.M	जन प्रतिनिधियों / पंचायत प्रतिनिधियों / वार्ड प्रतिनिधियों / सिविल सोसाइटी / समाज सेवी के साथ बैठक। 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया / नगर पंचायत,गोगरी। 2. नगर परिषद् जिला अन्तर्गत सभी पार्षद। 3. प्रखंडो के प्रमुख के साथ। 4. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। 5. सचिव रेडक्रास सोसाइटी। 6. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।	सभागार खगड़िया	जिला पंचायती राज पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् संयुक्त रूप से

Email-adsskhagaria@gmail.com ☎06244-222038

		2:00 P.M से 3:00 P.M	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी। 2. कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4. प्राइवेट विद्यालयों के निदेशक / प्रधानाध्यापक / प्राचार्य	समागार खगड़िया	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		3:00 P.M से 4:00 P.M	असैनिक शल्य–चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सो के साथा बैठक।	समागार खगड़िया	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
			जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाईजरों के साथ बैठक		जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0)
		4:00 P.M से 5:00 P.M	स्वयंसेवी रेडक्रॉस, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद, केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी0 के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक	समागार खगड़िया	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
5.	12.07.2019 (शुक्रवार)	10:00 A.M से 7:00 P.M (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)	बुनियाद के0 खगड़िया	जिलाधिकारी, खगड़िया / उप विकास आयुक्त,खगड़िया

राज्य आयुक्त, निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते हैं:–

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,खगड़िया दिनांक–09.07.2019 को मुख्य समागार,खगड़िया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगें तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. दिनांक–10.07.2019 को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्य समागार खगड़िया में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन (अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक–720, दिनांक–26.06.2019 की छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप वांछित प्रतिवेदन तैयार कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,खगड़िया को दिनांक–06.07.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगें।
3. दिनांक–10.07.2019 को 12:00 बजे से 1:00 तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक,खगड़िया अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी नामित करेंगें तथा सभी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं खगड़िया सभी थानो के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगें।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी,खगड़िया दिनांक–10.07.2019 के 1:00 से 2:00 बजे तक की बैठक एवं दिनांक–11.07.2019 को 2:00 बजे से 3:00 तक की बैठक करायेगें एवं सभी संबंधितों को अपने स्तर से सूचित करेंगें।
5. जिला बैंकिग उप समाहर्त्ता,खगड़िया कार्यक्रम के अनुसार आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक खगड़िया के साथ समन्व्य स्थापित कर सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत करेंगें।
6. जिला उद्योग पदाधिकारी,खगड़िया दिनांक–10.07.2019 को 4:00 से 5:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगें। उनसे निदेश प्राप्त करे उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।
7. असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,खगड़िया निर्धारित तिथि को निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेगें तथा निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करेंगें।
8. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,खगड़िया निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनबाड़ी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेगें तथा बैठक में उनकी उपस्थित सुनिश्चित करेंगें।
9. जिला पंचायती राज पदाधिकारी,खगड़िया आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करायेगें।
10. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत करेंगें।
11. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र,खगड़िया स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगें।
12. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार,खगड़िया से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी0 के भोलेनटियर्स को आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देगें।

अनुलग्नकः– अपर आयुक्त निःशक्तता बिहार, पटना के पत्रांक–720, दिनांक–26.06.2019

ह0/–
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

Email-adssk.hagaria@gmail.com ☎06244 - 222038

ज्ञापांक– 139 /सा0सु0, दिनांक– 03.07.2019

प्रतिलिपि:– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,खगड़िया जिला/सभी अंचल अधिकारी,खगड़िया जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्,खगड़िया एवं नगर पंचायत,गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुमंडल पदाधिकारी,खगड़िया एवं गोगरी/अनुमंडल पूलिस पदाधिकारी,खगड़िया एवं गोगरी/ भूमि उप समाहर्त्ता,खगड़िया एवं गोगरी/ अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी,खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र खगड़िया/ जिला प्रबंधक जीविका खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी खगड़िया/जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी खगड़िया/ जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, खगड़िया/ जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी खगड़िया/कारा अधीक्षक, खगड़िया/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) खगड़िया/ निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,खगड़िया/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रंण संगठन,खगड़िया/ जिला आपदा प्रबंधन,खगड़िया/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,खगड़िया/ उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा,खगड़िया/जिला कृषि पदाधिकारी,खगड़िया/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,खगड़िया/जिला अभियंता जिला परिषद,खगड़िया/जिला शिक्षा पदाधिकारी,खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी,खगड़िया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी,खगड़िया/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा–सह–दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,खगड़िया/जिला कल्याण पदाधिकारी,खगड़िया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण,खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण,खगड़िया/जिला नियोजन पदाधिकारी, खगड़िया/जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया/श्रम अधीक्षक,खगड़िया/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0),खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– नजारत उप समाहर्त्ता,खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि:– सचिव, रेडक्रॉस सोसाइटी,खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रोटोकॉल पदाधिकारी के लिए अग्रेतर कार्रवाई करें।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता,खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त,खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– पुलिस अधीक्षक खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ–साथ दिनांक–12.07.2019 को चलत न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला पलिस बल की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि:– जिला एवं सत्र न्यायाधीश,खगड़िया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आयुक्त मुंगेर प्रमंडल,मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

Email-adsskhagaria@gmail.com ☎06244-222038

न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0स0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 ...... दिनांक-26 जून'19

प्रेषक,

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन (मार्गदर्शिका सहित) के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना की कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

राज्य आयुक्त नि:शक्तता के कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	09/07/2019 (मंगलवार)	07:00 AM से 03:00 PM	जिला में विभिन्न प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक		सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		04:00 PM से	इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता		जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी
2.	10/07/2019 (बुधवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला में बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक		सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		10:00 AM बजे से 12:00 PM बजे तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- (1) उप विकास आयुक्त (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (3) उप समाहर्त्ता, प्रभारी बैंकिंग (4) उप पुलिस अधीक्षक (5) अपर समाहर्त्ता (6) अनुमण्डल पदाधिकारी (7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (8) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (9) श्रम अधीक्षक (10) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (11) जिला नियोजन पदाधिकारी (12) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल (13) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) (14) जिला कल्याण पदाधिकारी (15) जिला शिक्षा पदाधिकारी (16) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (17) जिला आपूर्ति पदाधिकारी (18) जिला परिवहन पदाधिकारी (19) जिला अभियंता, जिला परिषद (20) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (21) जिला कृषि पदाधिकारी (22) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी (23) जिला खेल-कूद पदाधिकारी (24) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/ अन0लो0शि0 निवा0 पदा0 (25) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (26) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (27) निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (28) कारा अधीक्षक (29) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (30) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (31) जिला पंचायती राज पदाधिकारी (32) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (33) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक (34) जिला प्रबंधक, "जीविका" (35) जिला प्रबंधक "बुनियाद केन्द्र"		सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग

		12:00 PM बजे से 01:00 PM बजे तक	अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0)/ विभिन्न पदाधिकारी के साथ बैठक		इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे। साथ ही सभी सम्बन्धित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
3.	10/07/2019 (बुधवार)	01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी (2) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला स्थिति सभी महाविद्यालय (3) सभी आई0टी0आई0 के प्राचार्य (4) प्रधानाचार्य, पोलेटेकनिक कॉलेज (5) डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र)		विकास आयुक्त
		02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंको के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता (एल0डी0एम0 बैंकिंग) (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंको के शाखा प्रबंधक		उप समाहर्त्ता, प्रभारी (एल0डी0एम0 बैंकिंग)
		03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,1999 की धारा-13(2) के तहत ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहुदिव्यांग के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेबल कमिटी की बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक		सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण उपस्थिति :- (1) स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक (2) जिला उद्योग पदाधिकारी (3) नगर आयुक्त/नगर परिषद एवं सदर अनुमण्डलीय पदाधिकारी		अनुमण्डल पदाधिकारी
		07:00 AM से 09:00 AM	जिला में बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक		सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक	सदर अस्पताल का निरीक्षण		असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
		11:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि/बोर्ड प्रतिनिधि/ सिविल सोसाईटी/समाजसेवी के साथ बैठक। (1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर निगम (2) नगर परिषद जिला अन्तर्गत सभी पार्षद। (3) प्रखण्डों के प्रमुख के साथ। (4) प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। (5) सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी। (6) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।		जिला पंचायती राज पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद संयुक्त रूप से।
4.	11/07/2019 (गुरुवार)	02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखण्ड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी। (2) कार्यक्रम पदाधिकारियों (शिक्षा)। (3) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों। (4) प्राइवेट विद्यालयों के निदेशक/प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य		जिला शिक्षा पदाधिकारी
		03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक।		असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
			जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाईजरों के साथ बैठक।		जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)
		04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	स्वयंसेवी रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।		सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
5.	12/07/2019 (शुक्रवार)	10:00 AM बजे से 07:00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)		जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त

राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम की विस्तृत विवरणी

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तों के अधीन नवनियुक्त राज्य आयुक्त निःशक्तता, डॉ0 शिवाजी कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

विगत वर्ष-2018-19 में मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं सिवान में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में राज्य आयुक्त निःशक्तता ने पुनः बिहार के सभी जिलों में जिला स्तर पर एक-एक चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक करने का निर्णय लिया है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार **दि0-10.07.2019 से 12.07.2019** तक **खगड़िया जिला** में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई व निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक एवं चलन्त न्यायालय का आयोजन किया जाना है।

खगड़िया जिला में भी तीन दिवसीय आयोजन किया जाना है, जो इस प्रकार है :-

- दिनांक-09.07.2019 को 07:00 AM से 03:00 PM तक **खगड़िया** जिला में सभी प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक एवं अपराह्न 4:00 बजे से इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता का आयोजन करने की व्यवस्था की जाए (**खगड़िया** डी0पी0आर0ओ0) को सहायता करने हेतु निदेशित किया जाय)।

प्रथम दिन

प्रथम पाली - विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

10/07/2019 (बुधवार)	07:00 AM बजे से 10:00 AM बजे तक	खगड़िया	बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक
	10:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक		विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
	01:00 AM बजे से 02:00 PM बजे तक		अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एव जिले के सभी थाना प्रभारी (SHO)

समीक्षात्मक बैठक में निम्न विभागों/कार्यालयों/निदेशालयों के पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय तथा चलन्त न्यायालय में भी उपस्थित रहने का निदेश दिया जाए।

1. उप विकास आयुक्तः-इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराएँ।
2. अपर समाहर्त्ताः-निःशक्तजनों को की गई भूमि बन्दोवस्ती/वितरण लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
3. सभी "अनुमण्डल पदाधिकारी" अपने अनुमण्डल के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी किये गये है एवं आयोजित चलन्त न्यायालय में समीक्षा बैठक एवं दिव्यांगजनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई के अभिलेख के साथ (तीन वर्षो) निश्चित रूप से उक्त न्यायालय में उपस्थित हों तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी :-
   - (क) विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराये।
   - (ख) समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखण्ड कार्यालय में निःशक्तजनों को आवश्यकतानुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में चलंत मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित कराऐंगे।
   - (ग) सदर अस्पताल का निरीक्षण - निःशक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का सदर अस्पताल में आयुक्त महोदय का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
   - (ग) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।
   - (घ) सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कराऐंगे।
5. उप पुलिस अधीक्षकः-विगत तीन वर्षो तक का दिव्यांगजन को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से सम्बन्धित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
6. श्रम अधीक्षकः-जिले में अवस्थित कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

कृ0पृ0उ0............

7. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी :-
जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, उनमें दिव्यांगों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

8. जिला नियोजन पदाधिकारी :-
जिले में बेरोजगारों द्वारा जो इनराल्मेन्ट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है तथा कितने को रोजगार मुहैय्या कराया गया है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

9. कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/पथ निर्माण :-
(क) रैम्प्स निर्माण, लिफ्ट, टायलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।
(ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free enviornment) आदि।
सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
(ग) सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग चिन्हित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।

10. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्वशिक्षा अभियान) :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सूची प्रखण्डवार एवं सभी कार्यरत संसाधन शिक्षकों का लिस्ट एवं स्कूलवार दिव्यांगजनों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। साथ ही जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में अनुमण्डल एवं जिला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए मॉडल समावेशी शिक्षा की सूची, स्कूल का नाम, कार्यरत शिक्षक व विशेष शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक उपलब्ध संसाधनों की सूची भी उपलब्ध करायें।

11. जिला कल्याण पदाधिकारी :- प्रखण्डवार विकलांग छात्रवृत्ति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

12. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक :-
(क) शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यार्थियों की प्रखण्डवार रिक्ति एवं नियुक्ति: स्कूल भवनों में रैम्प, छात्रवृत्ति, नामांकन संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
(ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विद्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा/नि:शुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना/नि:शक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता/वृतिका युक्त प्रशिक्षण/नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन/सभी शिक्षण संस्थाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
(ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालयों एवं महाविद्यायलों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची।
(घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।

13. **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :-**
(क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/नि:शक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, अनियोजन भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में नि:शक्तजनों की स्थिति, UDID Card से लाभान्वित नि:शक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विद्यालय, बालगृहों/आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।

14. जिला आपूर्ति पदाधिकारी :-
(क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण बिक्रेताओं की संख्या में नि:शक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
(ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित नि:शक्तजनों की संख्या।

15. जिला परिवहन पदाधिकारी :- परिवहन के मामले में नि:शक्तजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी गई है एवं भविष्य में क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

क्र०पृ०30.........

16. जिला अभियंता, जिला परिषद:-आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में नि:शक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं एवं जिले में दिव्यांगजन के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना।
17. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी :- नि:शक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं। प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।
18. **जिला कृषि पदाधिकारी** :- जिले में खाद्य, बिज आदि वितरण में दिव्यांगजनों के भागीदारी के सम्बन्ध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
19. **जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी** :- दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
20. **जिला खेल-कूद पदाधिकारी** :- जिला में दिव्यांगों के खेल-कूद से सम्बन्धित आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
21. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी** :- पिछले दो वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
22. **नगर/परिषद कार्यालय** :- नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि एक नोडल पदाधिकारी को नामित कर समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया जाए एवं तीन वर्षो का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं एवं जिले में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराएं।
23. **जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण** :- पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
24. **जिला ग्रामीण विकास** :- पिछले तीन वर्षो में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं।
25. **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस)** :- पिछले तीन वर्षो में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी0डी0पी0ओ0) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएं।
26. **जिला विधिक सेवा प्रधिकार** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन दिनों का समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा भोलिन्टयर की सूची भी उपलब्ध कराई जाए तथा पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगों के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन दिया जाए।
27. **कारा अधीक्षक** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन कारा गृह में बन्द दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
28. **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
29. **जिला भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पदाधिकारी** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
30. **प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यो हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
31. **जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए। बाल गृह/आश्रय गृहों में रह रहे दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध कराएं।
32. **जिला पंचायती राज पदाधिकारी** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

क्र05030...........

33. सभी ''प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी'' अपने प्रखण्ड के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी आप नामित किये गये हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रखण्ड स्तर पर दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराएँ तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

34. जिला प्रबंधक ''जीविका'':- जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

35. जिला प्रबंधक ''बुनियाद'':- जिला में बुनियाद द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।

प्रथम दिन

द्वितीय पाली -

10/07/2019 (बुधवार)	02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	खगड़िया	(1) विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा के पदाधिकारियों के साथ बैठक
	03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक		(2) लीड बैंक के साथ जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
	04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक		(3) रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व मॉल का निरीक्षण

द्वितीय दिन

प्रथम पाली - सदर अस्पताल का निरीक्षण

11/07/2019 (गुरूवार)	07:00 AM बजे से 10:00 AM बजे तक	खगड़िया	बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक
	09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक		अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक

द्वितीय पाली - जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

11/07/2019 (गुरूवार)	11:00 AM बजे से 02:00 PM बजे तक	खगड़िया	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि/बार्ड प्रतिनिधि/सिविल सोसाइटी/समाजसेवी के साथ बैठक

कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-52 (पूर्व अधिनियम के तहत) तथा अधिनियम की धारा-51 के तहत जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी, संस्थाओं गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच संवाद किया जाना है। निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कराने की कृपा की जाए :-

(1) नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद
(2) जिला के सभी प्रखण्डों के प्रमुख
(3) **जिला के प्रमुख संस्थाएँ, समाजसेवी, प्रमुख डॉक्टर, राष्ट्रीय न्यास के अभिभावकगण**
(4) सभी सिविल सोसाइटी गैरसरकारी एवं सरकारी संगठन के अध्यक्ष या सदस्य
(5) दिव्यांगजन का संगठन एवं विभिन्न दिव्यांगता से सम्बन्धित जिलों के प्रतिनिधि

तृतीय पाली - निम्न पदाधिकारियों/प्रधानाध्यापक/प्राचार्यो/सी0डी0पी0ओ0 एवं चिकित्सों के साथ बैठक

11/07/2019 (गुरूवार)	02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	खगड़िया	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्यो के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक)
	03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक		असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला एवं प्रखण्डों के विभिन्न पी0एच0सी0 के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक)
			जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाईजर (LS) के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक)
11/07/2019 (गुरूवार)	04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	स्वयंसेवकों (Volunteers)/रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों (समग्र शिक्षा) एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक (जहाँ चलन्त न्यायालय लगाया जाना है)/ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के PLV (न्यायमित्र) के Volunteers के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक

कृ0पृ0उ0............

तृतीय दिन

दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई व निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक एवं चलन्त न्यायालय

12/07/2019 (शुक्रवार)	10:00 AM बजे से 07:00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	खगड़िया	दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के दौरान ही निष्पादन किया जाएगा एवं आवश्यक आदेश पारित किए जाएँगे। चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) हेतु सरकारी बाधामुक्त स्थल (यथा आवश्यकता रैम्प इत्यादि युक्त) ऑडिटोरियम, स्कूल कॉलेज, सामुदायिक भवन के निर्धारण के साथ जिला प्रशासन द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की जानी है :-

(1) इंडोर हॉल (बाधारहित रैम्प एवं टॉयलेट) हवादार एवं प्रकाशयुक्त हॉल
(2) विज्ञापन व प्रचार सामग्री का प्रकाशन
(3) आवेदन प्रपत्र तथा हैंडआउटस की प्रिंटिंग तथा वितरण
(4) स्थल (**Venue**) पर आवश्यक फर्नीचर (इण्डोर हॉल)
(5) स्थल पर चार कम्प्यूटर (प्रिंटर के साथ)
(6) बैनरों की व्यवस्था **8x10, 8x6** तथा **6x4** आकार के - चलन्त न्यायालय (**Mobile Court**)
(7) स्थानीय गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा दिव्यांगों से जुड़े संस्थानों के 10 से 15 व्यक्ति शिकायतों के सम्बन्ध में सलाह/सहायता के सम्बन्ध में।
(8) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
(9) अत्यधिक गर्मी की स्थिति में इससे बचाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था
(10) फोटोग्राफी
(11) परिवहन, दो दर्जन व्हील चेयर की व्यवस्था
(12) सुविधा प्रदायकों के लिए मध्याह्न भोजन, चाय-पानी इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाय।
(13) दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं अन्य परिवादों के निष्पादन हेतु सभी विभागों का एक-एक कॉउण्टर लगाने की व्यवस्था एवं साथ हीं साथ विभाग के एक नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था।
(14) फोटोकॉपीयर मशीन, एक दर्जन स्टेपलर्स, स्याही स्टाम्प पैड-एक दर्जन, एक हजार सादा कागज प्रिंटिंग हेतु एवं आधा दर्जन गोंद (फेवी स्टीक सहित) का डब्बा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

नोट :- **चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन से सम्बन्धित खर्च का वहन संबंधित जिला स्तर से किया जाना है।**

2. उक्त के आलोक में कहना है कि आपके विभाग/कार्यालय एवं निदेशालय में दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त नोडल पदाधिकारी को दिनांक-12/07/2019 को खगड़िया जिला में आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में प्रतिवेदन के साथ तत्समय भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

3. कृपया चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) स्थल पर चार आशुलिपिकों (डिक्टेशन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) तथा कम-से-कम तीन अनुसेवकों की जिला प्रशासन कार्यालयों द्वारा किए जाने का अनुरोध है।

4. प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत वर्णित कार्यालयों के सरकारी पदाधिकारी को कृपया चलन्त न्यायालय के दौरान भी उपस्थित रहने की सलाह दी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करने की कृपा की जाए कि प्रत्येक कार्यालय से कम से कम प्रतिनिधि कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने हेतु उपलब्ध है।

5. दिव्यांगजनों के दिव्यांगता निर्धारण तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन कार्य हेतु आवश्यक चिकित्सा पदाधिकारियों की व्यवस्था की जाए। मनोचिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक अपना एक मनोचिकित्सक भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन पैनल में शामिल होने चाहिए।

6. इस कार्यक्रम को विविध संचार माध्यमों/कार्यालयों यथा जिला सम्पर्क कार्यालयों/प्रखण्ड विकास कार्यालायों/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/समाचार पत्रों/पैम्पलेटों/स्थानीय टेलीविजन माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

7. जिला पदाधिकारी, खगड़िया से अनुरोध है कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा (स्कॉट एवं अंगरक्षक) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
26/6/19
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/19
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/19
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/19
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया तथा जिला एवं प्रखण्डों के विभिन्न पी0एच0सी0 के प्रमुख चिकित्सकों को वर्णित कार्यक्रमानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

26/6
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को वर्णित कार्यक्रमानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

26/6/19
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 720/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- खगड़िया जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6
अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक-12.07.2019 को खगड़िया जिला में चलन्त न्यायालय के दिन पर्याप्त मात्रा में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाए।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक-12.07.2019 को दिव्यांगजनों हेतु आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में अपने स्तर से जिला के PLV (न्यायमित्र) की Volunteers सेवा प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि कार्यों के निष्पादन में सहायता मिल सके।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:- उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया को दिनांक-12.07.2019 को खगड़िया जिला में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:-सदर अनुमण्डलाधिकारी, खगड़िया को सभी प्रखण्डों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य आयुक्त नि:शक्तता के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 न 20/आ.नि.श. दिनांक-26 जून'19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, खगड़िया को निर्देशित किया जाता है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक-10.07.2019 से 12.07.2019 तक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) का प्रचार-प्रसार एवं उनके परिवादों के निष्पादन हेतु सहयोग करें तथा आयोजित कार्यक्रम का प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि पूर्व में आयोजित चलन्त न्यायालय मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं सिवान के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सफल संचालन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। साथ ही यह भी सूचित करना है कि सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

26/6/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।